भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *10

जिसका उत्तर सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक) को दिया गया

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय

*10. श्री शंकर लालवानी:
श्री जगदम्बिका पाल:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के विलय से उनकी प्रचालन कार्यकुशलता और वित्तीय स्थिरता में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विलय के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए क्या समय-सीमा और रूपरेखा निर्धारित की गई है; और

(घ) उक्त विलय प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद मौजूदा आरआरबी कर्मचारियों और ग्रामीण ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय" के संबंध में श्री शंकर लालवानी और श्री जगदम्बिका पाल द्वारा पूछे गए दिनांक 21.7.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *10 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की परिचालनीय व्यवहार्यता में सुधार लाने और वित्त मान का लाभ उठाने के लिए, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2005-06 में आरआरबी के संरचनात्मक समेकन की शुरुआत की। समामेलन के चरण-I (2005-2010) में एक राज्य के भीतर एक ही प्रायोजक बैंक के आरआरबी को समामेलित करके आरआरबी की संख्या को 196 से घटाकर 82 कर दिया गया था। समामेलन के चरण-II (2012-14) में परिचालन के भौगोलिक रूप से समीपस्थ क्षेत्रों के साथ राज्य के भीतर प्रायोजक बैंकों में आरआरबी को समामेलित कर आरआरबी की संख्या 82 से घटाकर 56 कर दी गई थी। समामेलन के चरण- III की शुरुआत वर्ष 2019 में कमजोर आरआरबी को सुदृढ आरआरबी के साथ समामेलित कर की गई थी। चरण- III के समामेलन के परिणामस्वरूप, मार्च 2021 के अंत में आरआरबी की संख्या 56 से घटकर 43 रह गई थी।

नाबार्ड द्वारा वर्ष 2021 में आरआरबी के समामेलन के उनके वित्तीय कार्यनिष्पादन पर प्रभाव के सम्बंध में एक अध्ययन किया गया था और यह पाया गया था कि अतीत में समामेलन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप आरआरबी की अर्थक्षमता और वित्तीय कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ था। अध्ययन के निष्कर्ष को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 'भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति सम्बंधी रिपोर्ट (2020-2021) के संबंध में उनके सांविधिक प्रकाशन में प्रकाशित किए गए थे।

अध्ययन से पता चला कि समामेलन के विभिन्न चरणों के दौरान लाभदायक और सतत रूप से अर्थक्षम आरआरबी की संख्या में लगातार सुधार हुआ और कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में संचित हानियों की मात्रा में भी गिरावट आई। विलय के बाद आरआरबी की लाभप्रदता में सुधार, कमजोर बैंकों में पूंजी निवेश के चलते उनके लिवरेज अनुपात के साथ ही साथ पूंजी अनुपात में आरक्षित को भी बढ़ावा मिला।

'एक राज्य-एक आरआरबी' के सिद्धांत द्वारा निदेशित, सरकार ने दक्षता मान और लागत-युक्तिकरण के लाभों को प्राप्त करने के लिए चरण-IV समामेलन में आरआरबी के आगे समेकन की प्रक्रिया जारी रखी, जिससे 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में दिनांक 01.05.2025 से आरआरबी की संख्या 43 से घटाकर 28 कर दी गई है।

आरआरबी के समामेलन के परिणामस्वरूप परिचालन के समीपस्थ क्षेत्र के साथ एक राज्य स्तरीय आरआरबी का गठन हुआ है जिससे प्रबंधन सरल हुआ है और सेवा प्रदान करना सहज हुआ है। आरआरबी ने अपने पूंजी आधार में वृद्धि की है जिससे विलय की गई इकाई की वित्तीय स्थिरता और आघातसहनीयता में बढोत्तरी हुई है। परिचालनों को समेकित करने और अलग-अलग प्रशासनिक

संरचनाओं के अतिरेक को समाप्त करने से समामेलन से लागत में बचत होने की आशा है। इसके अलावा, समामेलित आरआरबी उन्नत प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों में निवेश कर सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं, जिससे परिचालन दक्षता और ग्राहक सेवा में सुधार हो सकता है।

(ग): 'एक राज्य-एक आरआरबी' के सिद्धांत से निदेशित आरआरबी का समामेलन दिनांक 30.04.2025 तक लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति के आधार पर किया गया है और समामेलन की प्रभावी तिथि 01.05.2025 है। सरकार ने समामेलन कार्यक्रम के कार्यान्वयन की देखरेख और निगरानी के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) और राष्ट्र स्तरीय परियोजना निगरानी इकाई (एनएलपीएमयू) का गठन किया है।

नाबार्ड ने राष्ट्रीय स्तर की मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है जिसमें विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सामंजस्यपूर्ण नीतियों और प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने तथा दैनंदिन एकीकरण योजना को संभालने के लिए प्रत्येक एंकर/अंतरिती आरआरबी में समामेलन परियोजना प्रबंधन इकाई (एपीएमयू), संचालन समिति और कार्यात्मक समितियों के गठन की सलाह दी गई है।

(घ): समामेलन संबंधी भारत सरकार की अधिसूचना में, अन्य बातों के साथ-साथ, विद्यमान आरआरबी कर्मचारियों के पारिश्रमिक और सेवा शर्तों के संरक्षण का प्रावधान है। अधिकारियों और कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता नाबार्ड द्वारा जारी राष्ट्रीय स्तर की मानक संचालन प्रक्रिया निदेशित होती है। ग्रामीण ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए एनएलपीएमयू ने सभी आरआरबी को विभिन्न संचार चैनलों (इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, ग्राहकों को एसएमएस, शाखा स्तर पर ग्राहक जागरूकता बैठक आदि) के माध्यम से समामेलन के संबंध में पर्याप्त प्रचार-प्रसार करने की सलाह दी है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ग्राहकों की शिकायतों के निपटान के लिए कॉल सेंटर स्थापित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है। नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सभी शाखाएं नई संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रही हैं और बैंकिंग सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित कर रही हैं। ग्राहक खातों, जमा और ऋणों का अंतरण (माइग्रेशन) बिना किसी बड़े व्यवधान के किया जा रहा है।

*****